

किस्म मुकदमा II बनाम गौरी देवी
 प्रकरण संख्या 87/2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
26/4/18	बच्चुलाम परीक्षण उपस्थित । उक्त AC लाइन वाट पघोटे हूँ हो उक्त सिमल इन्के समय ता. 15-5-18 को सवेर
15/5/18	बच्चुलाम परीक्षण उपस्थित । उक्त AC लाइन वाट पघोटे हो उक्त सिमल इन्के समय ता. 7-6-18 को सवेर
7-6-18	पञ्जावली माज बसुलाम छावणसारण लोकमंडालत जग आपके घरमें पेश हुई फलान इपास्थि नहीं हुए । हमने उक्त छरण का मजमें आम में जानकारी प्राप्त कर अपलोड किया गया । राजस्व रेकॉर्ड अनुसार प्रथम छरण मामला प्राप्ति के पत्र में साबित नहीं होता है तथा अविद्या का कुंठल एवं अपूर्ण शान का बिंदु भी प्राप्ति के पत्र में नहीं बतला है प्राप्ति का प्रमाण छरण मामला साबित नहीं होने से असाई निषेधना माफेकइस्तुआ पाने की इकदार नहीं जमी जसहिमत । प्राप्ति का उक्त प्राप्ति पत्र स्वीकृत किया जाता है । आगे उक्त मजमें आम केम छावणसा में सुनाया गया । मिसल सुमार फलान होकर नंबर से फाटे न बाखिल दखत है

उपखण्ड अधिकारी, जसवंतपुर
 जिला-जालोर (राज.)